13.5.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली में प्रस्तुत वाद तथा भूमिधारी T.D.R. की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर पृथक से निर्णय/डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली होकर, पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 24 / 2019

उनवान

संजीव जोशी पिता रतनलाल जोशी जाति ब्राहाण उस वयस्क निवासी सरेडी बडी तहसील गढी जिला बांसवाडा। —: वादी

राष्ट्रीय लोक अदालत 2022

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा। —: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.5.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के पिता श्री रतनलाल ने सन् 1975 में शंकरदान पिता अमरदान से गाव सालिया भीमसौर उनके खाते की भुमि आराजी नम्बर 456 नया 1493 किस्म डूगरी किमतन क्रय किया। तत्पश्चात् वादी के पिता का नामान्तरकरण राजस्वे रेकार्ड में दर्ज हुआ। वादी का पिता अपने जीवनकाल में व उनकी मृत्यु पश्चात् वादी उपरोक्त भुमी पर अपनी काश्त करता चला आ रहा है एवं अपने उपयोग उपभोग में उक्त भूमि को ले रहा है। गत दिनों वादी ने अपनी भुमिका समतलीकरण करवाया जो पटवारी द्वारा आकर रोकने पर पता चला की वादी की जिस भुमि वादी काबीज होकर पैतृक समय से उपयोग उपभोग मे ले रहा है श्रीसरकार किस्म दर्ज है जिस पर वादी द्वारा समस्त राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की जिससे वादी को यह स्पष्ट हुआ की वादी के स्वामित्व की भुमि आराजी नम्बर 456 नया 1493 जिस पर वादी काबीज है के पश्चिम दिशा मे स्थित नम्बर 455 जिसका नया नम्बर 1492 हुआ है का गलत तरमीम कर 455 की जगह सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने जान बुझकर त्रुटीकर वादी की भुमि 1493 की जगह 1492 दर्ज कर वादी का नम्बर पिछे दर्ज कर वादी को उसकी भुमि से बेदखल कर पश्चिम दिशा मे पिछे स्थित भुमि को फर्जी तरीके से सड़क के पास का नम्बर दर्ज कर श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड कर लिया है। राजस्व नक्षा ट्रेस संवत 2015 के अन्तर्गत वादीका नम्बर 456 नया 455 स्पष्ट दर्शाये गये है जो कि आस पास है एवं 455 वादी के नम्बर 456 के पश्चिम दिशा में होकर पिछे है जबकि राजस्व कर्मचारियों ने सेटलमेन्ट के दौरान नये नक्षा ट्रेस में 456 का नया नम्बर 1493 जहा था उसे पिछे के नम्बर की जगह दर्जकर वादी के नम्बर 1493 की जगह उसे पिछे के नम्बर की गलत दर्जकर वादी के नम्बर 1493 की जगह 455 के नये नम्बर को आगे लाकर 1492 दर्जकर लिया है। जिस वजह से वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भुमि श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड कर वादी की भूमि के नम्बर को पिछे दर्ज कर लिया है। राजस्व रेकार्ड की उक्त त्रुटी दुरस्त कर पुर्ववत नम्बरान के अनुसार ही दर्ज किया जाना आवश्यक है लेकिन वादी द्वारा राजस्व अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी वादी के राजस्व रेकार्ड की हुई त्रुटी को दुरस्त नही कर रहे है। इस कारण धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम में वाद प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर इस आशय की डिक्री प्रदान करे की वादग्रस्त आराजी नम्बर 456 नया नम्बर 1493 को आराजी नम्बर 1492 की जगह दर्ज कर आराजी नम्बर 1492 को पूर्व नम्बर 455 की जगह दर्ज रेकार्ड किया जाने वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी [illegible] (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि सेटलमेंट पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 27.11.1975 से ग्राम सालिया के सर्वे नम्बर 453 [illegible] 15 बिस्वा, सर्वे [illegible] 454 रकबा 16 बिस्वा व सर्वे नम्बर 456 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि [illegible] पिता [illegible]लाल जाति ब्राह्मण निवासी सरेड़ी बड़ी के नाम दर्ज किया गया। वक्त सेटलमेंन्ट नये नम्बर [illegible]र दर्ज किये गयेः–

हॉल सर्वे नम्बर	रकबा	साबिक सर्वे नम्बर	रकबा
1485	0.08	453	15 बिस्वा
1486	0.04		
1487	0.13	454	16 बिस्वा
1493	0.17	456	01 बीघा 05 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

वर्तमान रिकार्ड में सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.08 है0, सर्वे नम्बर 1486 रकबा 0.04 है0, सर्वे नम्बर 1487 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 1493 रकबा 0.17 हे0 भूमि श्री रतनलाल पिता केशवलाल जाति ब्राह्मण निवासी सरेड़ी बड़ी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पुराना सर्वे नम्बर 456 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था, लेकिन वक्त भू–प्रबन्ध के नया सर्वे नम्बर 1493 रकबा 0.17 हे0 दर्ज किया गया है, जो 0..20 हे0 दर्ज किया जाना था। सेटलमेंन्ट पूर्व का ना‍ा व वर्तमान ना‍ा का मिलान करने पर व तुलनात्मक नम्बरो का मिलान करने पर यह ज्ञात हुआ कि सर्वे नम्बर 1493 के दाणि भाग में सर्वे नम्बर 1492 अंकित किया गया है जो गलत हैं क्योंकि सर्वे नम्बर 1492 पुराने सर्वे नम्बर 455 का नया नम्बर है। तथा सर्वे नम्बर पुराना 456 के दधि भाग में सर्वे नम्बर 817 स्थित था न की सर्वे नम्बर 455, राजस्व रिकार्ड वर्तमान व पुराने का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि सर्वे नम्बर 1493 रकबा 0.17 हे0 दर्ज किया गया है जिसमें 0.03 हे0 भूमि कम दर्ज की गई है, उसे सर्वे नम्बर 1492 में से दिया जाना एंव वर्तमान सर्वे नम्बर 1492 पुराने सर्वे नम्बर 455 के स्थान पर नही होकर पुराने सर्वे नम्बर 817 के स्थान पर दर्ज किया जाना अवगत कराया।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न नक्षा सन् 1944 ग्राम सालिया की छाया प्रति, खाता संख्या 223 की जमाबन्दी संवत 2967 से 2070, खाता संख्या 222 की जमाबन्दी संवत 2067 से 2070, खाता संख्या 290 (नई) 266 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074, नक्षा सन् 1951 ग्राम सालिया की छाया प्रति, नकल ामान्तरकरण संख्या 211 की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम सालिया की छाया प्रति, आंशिक नक्षा मौजा सालिया संवत 2038–39 की छाया प्रति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का भीमसौर के मौजा सालिया की बिलानाम काबिल काश्त खाता संख्या 01 (नई) 01 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1492 रकबा 0.21 हे0 किस्म–का.का. में से रकबा 0.03 हे0 भूमि कमी कर खाता संख्या 305 (नई) 235 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1493 में सम्मिलित करते हुऐ पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 को पुराने सर्वे नम्बर 455 के बने हॉल सर्वे नम्बर 1492 के स्थान पर पुराने सर्वे नम्बर 817 का नया सर्वे नम्बर 1492 अंकित किया जाकर पुराने सर्वे नम्बर 817 के हॉल सर्वे नम्बर 1492 को पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 के स्थान पर अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का भीमसौर के मौजा सालिया की बिलानाम काबिल काश्त खाता संख्या 01 (नई) 01 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1492 रकबा 0.21 हे0 किस्म–का.का. में से रकबा 0.03 हे0 भूमि कमी कर खाता संख्या 305 (नई) 235 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1493 में सम्मिलित करते हुऐ पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 को पुराने सर्वे नम्बर 455 के बने हॉल सर्वे नम्बर 1492 के स्थान पर पुराने सर्वे नम्बर 817 का नया सर्वे नम्बर 1492 अंकित किया जाकर पुराने सर्वे नम्बर 817 के हॉल सर्वे नम्बर 1492 को पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 के स्थान पर अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का भीमसौर के मौजा सालिया की बिलानाम काबिल काश्त खाता संख्या 01 (नई) 01 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1492 रकबा 0.21 हे0 किस्म–का.का. में से रकबा 0.03 हे0 भूमि कमी कर खाता संख्या 305 (नई) 234 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1493 में सम्मिलित करते हुऐ पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 को पुराने सर्वे नम्बर 455 के बने हॉल सर्वे नम्बर 1492 के स्थान पर पुराने सर्वे नम्बर 817 का नया सर्वे नम्बर 1492 अंकित किया जाकर पुराने सर्वे नम्बर 817 के हॉल सर्वे नम्बर 1492 को पुराने [illegible] 1493 के स्थान पर अंकित करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिकी [illegible] की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 24/2019

उनवान

संजीव जोशी पिता रतनलाल जोशी जाति ब्राहाण उस वयस्क निवासी सरेडी बडी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.5.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का भीमसौर के मौजा सालिया की बिलानाम काबिल काश्त खाता संख्या 01 (नई) 01 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1492 रकबा 0.21 हे0 किस्म—का.का. में से रकबा 0.03 हे0 भूमि कमी कर खाता संख्या 305 (नई) 234 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1493 में सम्मिलित करते हुऐ पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 को पुराने सर्वे नम्बर 455 के बने हॉल सर्वे नम्बर 1492 के स्थान पर पुराने सर्वे नम्बर 817 का नया सर्वे नम्बर 1492 अंकित किया जाकर पुराने सर्वे नम्बर 817 के हॉल सर्वे नम्बर 1492 को पुराने सर्वे नम्बर 456 के हॉल सर्वे नम्बर 1493 के स्थान पर अंकित करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 13.5.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner